अंचल अधिकारी का कार्यालय, धनबाद।

विविध वाद सं0 16 / 2019-20

दिनांक	आदेश फलक	अभियुक्ति
30/7/19	आवेदक श्री बलराज देवरालिया पिता श्री जगन्नाथ देवरालिया साकिम राजगंज, धनबाद द्वारा कार्यालय में एक आवेदन पत्र समर्पित कर मांग करते हैं कि इनका खरीदगी भूमि मौजा धनबाद मौजा नं0 51, में खाता नं0 162 प्लॉट नं0 295 अंश रकबा 04 कट्टा 02 छटाक खरीदगी भूमि है। जिसका दाखिल खारिज केश सं0 76(।।।) 2005–06 है। लिपीकीय भूल से रसीद खाता 165 खेसरा 295 अंश रकबा 04 कट्टा 02 छटाक कट रहा है। आवेदन पत्र में संशोधित की मांग की गयी है। जिसका मूल आवेदन पत्र जाँच हेतु हल्का कर्मचारी को दें। अभिलेख दिनांक 31-01-19 को उपस्थित करें। 30.7.19 अंचल अधिकारी, धनबाद।	
31/1/2020	आज अभिलेख उपस्थापित। संबंधित राजस्व कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक के जाँच प्रतिवेदन प्राप्त। राजस्व कर्मचारी द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि मौजा धनबाद मौजा नं0 51, के खाता नं0 162 प्लॉट नं0 295 अंश रकबा 04 कट्टा 02 छटाक भूमि सर्वे खतियान के अनुसार रैयती खाते की भूमि है। आवेदक बलराज देवरालिया द्वारा निबंधित कैवाला सं0 10638 दिनांक 31.12.2004 द्वारा मौजा धनबाद के खाता नं0 162 प्लॉट नं0 295 अंश रकबा 04 कट्टा 02 छटाक भूमि खरीद की गयी है। जिसका नामान्तरण वाद सं0 76(।।।) 2005–06 के अनुसार पंजी 2 में जमाबंदी रैयत के नाम कायम है। परन्तु खाता नं0 162 की जगह पंजी 02 में खाता न 165 दर्ज हो गया है जो लिपकीय भूल है। आवेदक द्वारा दावे के समर्थन में कैवाला एवं दिनांक 03.06.2019 की तिथि में जिला अभिलेखागार , धनबाद से अभिप्रमाणित पत्र दाखिल किया गया है। उपलब्ध कराये गये सभी राजस्व कागजात से प्रतीत होता है कि खाता नं0 165 की जगह 162 होना आवेदक का दावा सही है। अतः हल्का कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक के प्रतिवेदन का अवलोकन किया। अवलोकनोपरान्त निदेश दिया जाता है कि पंजी 02 में रैयत बलराज देवरालिया के नाम कायम जमाबंदी सं0 1331 में खाता नं0 165 की जगह 162 संशोधन करना सुनिश्चित करेगें। लेखापित एंव संशोधित। 31-01-19 अंचल अधिकारी, धनबाद। 31.01.19 अंचल अधिकारी, धनबाद।	

Scanned with CamScanner

सेवा में,
अंचल अधिकारी
धनबाद

द्वारा - अंचल निरीक्षक

विषय — बलराज देवघरिया द्वारा समर्पित आवेदनपत्र के आलोक में जाँच प्रतिवेदन का प्रेषण।

महाशय,

उपरोक्त विषय के संबंध में आवेदक बलराज देवघरिया के आवेदनपत्र के आलोक में जाँच किया। पंजी-2 के जमाबंदी पंजी-2 के अनुसार जाँच किया। पिता जगरनाथ देवघरिया सं०-1331 में बलराज देवघरिया के नाम खाता 165 प्लॉट-295 रकबा 4कट्ठा 2छटाँक की जमाबंदी दा० खा० वाद सं०-76(III)2005-06 के आदेशानुसार कायम है। आवेदक द्वारा समर्पित केवाला की छायाप्रति में खाता-162 अंकित है एवं दा०खा० की प्रति में खाता-165 अंकित है। केवाला में अंकित खाता ही सही खाता अंकित है। विविध वाद के माध्यम से संशोधित है। पंजी-2 में संशोधन के पश्चात online करने हेतु अग्रेतर कार्रवाई की जा सकती है।

आपका विश्वासी
14.3

राजस्व कागजात के अनुसार रकबा 295 खाता 162 की जगह 165 पंजी-2 में अंकित है जिसका शुद्धीकरण रकबा 295 खाता-162 की विधिवत जमाबंदी कायम है। विविध वाद के माध्यम से सुधार हेतु अनुशंसा की जाती है।

14.3

अंचल अधिकारी का कार्यालय, धनबाद

आदेश फलक

आवेदक बजरंग केजरीवाल पिता श्री जगन्नाथ केजरीवाल साकिन राजगंज धनबाद द्वारा कार्यालय में एक आवेदन पत्र समर्पित कर मांग करते हैं कि उनका खरीदगी जमीन मौजा - धनबाद थाना सं० - 51 में केवाला सं० - ~~3112~~ 10638 दिनांक 31-12-2004 द्वारा मौजा - धनबाद थाना सं० - 51 में खाता - 162 प्लाट 295 अंश रकबा - 4 कट्ठा 2 छटांक खरीद की गई है जिसका दा०खा० वाद सं० 76(III) - 2005-06 है। जिसमें कुल के रसीद खाता - 165 प्लॉट - 295 अंश रकबा 4 कट्ठा 2 छटांक का कट रहा है। आवेदन पत्र में संशोधन की मांग की गई है। अतः आवेदनपत्र संबंधित राजस्व कर्मचारी को जांच हेतु दें। तथा एक पक्ष में प्रतिवेदन की मांग करें।

अभिलेख दिनांक ______ को उपस्थापित करें।

अं० अ०
धनबाद

अभिलेख उपस्थापित। राजस्व कर्मचारी का जांच प्रतिवेदन अंचल निरीक्षक के माध्यम से प्राप्त है। राजस्व कर्मचारी द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि जमीन मौजा धनबाद थाना सं० 51 के खाता 162 प्लॉट - 295 अंश रकबा 4 कट्ठा 2 छटांक जमीन सर्वे खतियान के अनुसार कैसरी खाते की जमीन है। आवेदक बजरंग केजरीवाल द्वारा निबंधित केवाला सं० 10698 दिनांक 31/12/2004 द्वारा मौजा धनबाद के खाता - 162 प्लॉट 295 अंश रकबा ~~खाड~~ 4 कट्ठा 2 छटांक जमीन खरीद की गई है।

को नामान्तरण वाद सं० 76-III-2005-06 अनुसार पंजी-2 में जमाबंदी रैयत के नाम कायम है। परन्तु खाता 162 की जगह पंजी-2 में खाता-165 दर्ज हो गया है जो लिपिकीय त्रुटि प्रतीत होता है। आवेदक द्वारा दावे के समर्थन में केवाला, जिसका दिनांक 3/6/19 की प्रति में जिला अभिलेखागार, धनबाद से अभिप्रमाणित प्रति दाखिल किया गया है।

उपलब्ध कराये गये सभी राजस्व कागजात से प्रतीत होता है कि खाता-165 की जगह 162 होना आवेदक का दावा सही है।

राजस्व कर्मचारी हल्का सं०-3 को निदेश दिया जाता है कि पंजी-2 में रैयत बलराम टेपरावाला के नाम कायम जमाबंदी सं०-1331 में खाता-165 की जगह 162 संशोधन करना सुनिश्चित करें।

—अंचल अधिकारी
धनबाद

Scanned with CamScanner